संoसंo—03/परीo—BTSC—(अधिo)01—27/2023......1692...... पटना, दिनांक:—....2/8/24....

# बिहार सरकार

# बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
## 19, हार्डिंग रोड, पटना

## आवश्यक सूचना

## विज्ञापन संo—07/2023 से 36/2023 (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संo—07/2023 से 36/2023 तक के अन्तर्गत दिनांक—12.07.2024 से 18.07.2024 तक एवं दिनांक—31.07.2024 को आयोजित दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक, कोटि एवं अन्य विवरणी आयोग के वेबसाईट— **www.btsc.bihar.gov.in** अथवा इस लिंक पर **http://103.75.167.252/ITI** पर **दिनांक—04.08.2024 से 08.08.2024 के अपराह्न 06:00 बजे तक** आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला गया है।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

**उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई—मेल/ निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।**

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:—

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण—पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण—पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन के कंडिका—1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण—पत्र को अमान्य किया गया है।

   अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत संबंधित उद्योग/संस्थान को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्यों को **मान्य नहीं** किया गया है:—
   - (i) GST निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है।
   - (ii) Bihar Shop एवं Establishment Act के अन्तर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है।
   - (iii) संवेदक License, Contractor License के अन्तर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है।
   - (iv) अभ्यर्थी के EPFO कटौती के विवरणी को अभ्यर्थी के संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है।
3. विज्ञापन के कंडिका—1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (संबंधित व्यवसाय का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र/राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण—पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
4. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण—पत्र (यथा— शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण—पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण—पत्र) दिनांक—**03.08.2023** तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।

   परन्तु, आयोग के पत्रांक—2851, दिनांक—16.10.2023 द्वारा SCVT योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु दिनांक—20.10.2023 से 03.11.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मात्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण—पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण—पत्र दिनांक—**03.11.2023** तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है।

5. विज्ञापन के कंडिका–1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत कार्यावधि की गणना दिनांक–**04.07.2023** तक की गयी है।
6. विज्ञापन के कंडिका–1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण–पत्र को अमान्य किया गया है।
7. विज्ञापन के कंडिका–1(iii) एवं 3(ii)(c) में वर्णित (संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण–पत्र) CITS का राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा इतर व्यवसाय का CITS प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य किया गया है।
8. कार्यानुभव की अवधि एवं CITS के शैक्षणिक सत्र की अवधि में Overlap होने पर अभ्यर्थियों के कार्यानुभव को अमान्य कर दिया गया है।
9. वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन के दौरान औपबंधिक (Provisional) व्यवसाय प्रमाण–पत्र/अंक पत्र, औपबंधिक शिक्षुता प्रमाण–पत्र/अंक पत्र, औपबंधिक CITS प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है, को मात्र औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है।
10. विज्ञापन के कंडिका–3(ii)(d) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्त्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया है।
11. विज्ञापन के कंडिका–3(ii)(d) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक–**04.07.2023** तक की गई है।
12. कार्यानुभव प्रमाण–पत्र विज्ञापन की कंडिका–3(iii) के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षन संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट–I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
13. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण–पत्र यथा– जाति प्रमाण–पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उक्त प्रमाण–पत्र निर्धारित Cut-off तिथि तक का होने पर ही मान्य किया गया है।
14. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
15. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र **पति** के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–15760, दिनांक–02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
16. स्वतंत्रता सेनानी के नाती–नतिनी/पोता–पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
17. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
18. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:– **1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।**

**2. संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।**

2.8.2024

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

D:\2022\VYAVASAAY ANUDESHAK\For ITI\AAPTI SUCHANA (After Counselling)_2